5/2/18 पत्रावली पेश हुई ... कन्डोलेन्स / कार्य ... के कारण ... नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक 5/3/18 को पेश हो।

5-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित जवाब दावा हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23-3-18 को पेश हो।

23/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील पक्षकार उप. वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किया। वकील प्रतिवादी को 100/- रु की कोस्ट पर एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27.4.18 को पेश हो।

27.4.18 पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल....मोहनपुरा में दिनांक 22.05.18 को पेश हो।

22.05.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत ... आपके द्वार कैम्प कोर्ट मोहनपुरा में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने की है। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 96/2 रकबा 1 बीघा भूमि का बेचान किया गया है

फर्द अहकाम

बनाम

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
विवाद मात्र मौके पर है। उक्तवाद प्रतिवादी सं.3 ने संख्या 1 व 2 को पाबन्द कराने हेतु के उद्देश्य से कराया गया है। तहसीलदार बस्सी से केम्प कोर्ट स्थल पर रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व प्रतिवादी को वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी लेने तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं राजस्व लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 96/2 रकबा 0.1 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 0.1 बीघा स्थित ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जयपुर के सम्बन्ध मे रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचान हो चुका है। ऐसी स्थिति मे वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित नही समझते है। अत: वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नही होने से खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 22.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मोहनपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया। [signature] 22.5.18	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. हनुमान पुत्र बालूराम पोत्र रामनारायण नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती माता श्रीमति प्रेम देवी पत्नि बालूराम जाति हरि. ब्राहमण निवासी मोहनपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।		1. कैलाश चन्द पुत्र रामगोपाल 2. रुकमणी पत्नि कैलाश समस्त जाति छीपा समस्त निवासी ग्राम बस्सी तह. बस्सी 3. बालूराम पुत्र रामनारायण जाति हरि. ब्राहमण निवासी मोहनपुरा तह. बस्सी। 4. सबरजिस्ट्रार बस्सी। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 178/16 निर्णय दिनांक 22.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 96/2 रकबा 01 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 01 बीघा स्थित ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेंचान हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप नही होने से खारिज किया जाता है। ....निजी..................मुबलिक.....................बाबत...खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.18 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.............................. 22.5.18
ओहदा...............................

मुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी